हरियाणा सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

6 अक्तूबर, 1989

संख्या० सा० का० नि० 83/संवि०/अनु० 309/89.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा हरियाणा भू-अभिलेख संगठन सांख्यिकीय (ग्रुप क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग 1—सामान्य

संक्षिप्त नाम।

1. ये नियम हरियाणा भू-अभिलेख संगठन सांख्यिकीय (ग्रुप क) सेवा नियम, 1989 कहे जा सकते हैं।

परिभाषाएं।

2. इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग ;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो, सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(ग) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(घ) "संस्था" से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा में विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) कोई अन्य संस्था जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो ;

(ङ) "मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्व विद्यालय ; या

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि पत्र (डिपलोमा) या प्रमाण-पत्र की दशा में पंजाब, सिंध या ढाका विश्वविद्यालय ; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त घोषित किया गया हो ;

(च) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा भू-अभिलेख संगठन सांख्यिकीय (ग्रुप क) सेवा ।

भाग II—सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा स्वरूप ।

3. सेवा मे इन नियमों के परिशिष्ट क में बताए गए पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नए पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में भर्ती किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र ।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,—

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या कीनिया, यूगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (टंगानीका और जंजीबार) जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिस की दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद ही किया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के यदि कोई हो, प्रधान शैक्षिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र

और वो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भान्ति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे ।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा जो आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से ठीक पहले जनवरी के प्रथम दिन को या उससे पहले बाईस वर्ष की आयु से कम या पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक का हो । आयु ।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाएंगी । नियुक्ति प्राधिकारी ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो : अर्हताएं ।

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव संबंधी अर्हताओं में में आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो । ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जायेंगे ।

8. कोई भी व्यक्ति,— निरर्हताएं ।

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ;

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,— भर्ती का ढंग ।

(क) संयुक्त निदेशक एवं विशेष कार्य अधिकारी की दशा में :—

(i) उप निदेशकों में से पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत ; और

(ii) सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत ; या

(iii) किसी राज्य अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ख) उप निदेशक की दशा में :—

(i) सहायक निदेशक/अनुसंधान अधिकारी तथा सारणीकरण अधिकारी में से पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत ; और

(ii) सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत ; या

(iii) किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(2) सभी पदोन्नतियां, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और अकेली ज्येष्ठता ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार नहीं देगी ।

परिवीक्षा ।

10. (i) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति यदि वे सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए हों तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किए गए हों तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे ।

परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि पूरी होने पर, जब तक वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या

(ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें अनुज्ञात करे।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी—

(क) यदि उसका कार्य या आचरण, उसकी राए में, संतोषजनक रहा हो तो—

(i) ऐसे व्यक्ति को यदि स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; या

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण, उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और इसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

11. सेवा के सदस्यों की पारस्परिक ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा-काल के अनुसार निश्चित की जाएगी : ज्येष्ठता।

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जाएगी ;

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निश्चित योग्यताक्रम परिवर्तित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी,—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किए गए थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवा काल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

12. (1) सेवा का प्रत्येक सदस्य, नियुक्त प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए नीचे लिखे के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकत है,—

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास हैं, हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हों; अथवा

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय:

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) अथवा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा ।

वेतन, छुट्टी पेंशन तथा अन्य मामले ।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा सभी अन्य मामलों के संबंध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाएं ।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें ।

14. (1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य, समय-समय पर यथासंशोधित, हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे:

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, शास्तियां लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी वही होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं ।

टीका लगवाना ।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निदेश करे, टीका लगवाएगा तथा पुनः टीका लगवाएगा ।

राजनिष्ठा की शपथ ।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ ग्रहण कर ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी ।

ढील देने की शक्ति

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या समीचीन हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है ।

विशेष उपबन्ध ।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना समीचीन समझे, तो ऐसा कर सकता है ।

19. नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के अन्य किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार किए गए आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

तथा

20. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम जो इन नियमों के आरम्भ से तुरन्त पहले लागू हो इसके द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियम के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया अथवा की गई समझी जाएगी ।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1	संयुक्त निदेशक एवं विशेष कार्य अधिकारी।	—	1	1	3,000—100—3,500—125—5,000
2	उप-निदेशक	—	1	1	2,200—75—2,800—द०रो०—100—4,000

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पद का नाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो।	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	संयुक्त निदेशक एवं विशेष कार्य अधिकारी	(i) एम० ए० स्तर या बी० ए० आनर्स स्कूल स्तर पर सांख्यिकी के विषय में एक प्रश्न पत्र के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या गणित या वाणिज्य में एम० ए० की उपाधि, यदि उम्मीदवार गणित या अर्थशास्त्र में आनर्स स्कूल में स्नातक भी हो या सांख्यिकी में एम० ए० की उपाधि रखता हो। (ii) किसी विश्वविद्यालय या आर्थिक तथा सांख्यिकीय संगठन में विभिन्न आर्थिक तथा सांख्यिकीय विषयों पर अनुसंधान का मार्ग दर्शन तथा संचालन करने में पांच वर्ष का अनुभव। (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान होना चाहिए।	(i) उप-निदेशक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव। (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान होना चाहिए।

2	उप-निदेशक	(i) एम० ए० स्तर या बी० ए० आनर्स स्कूल स्तर पर किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र या गणित या वाणिज्य में एम० ए० की उपाधि, यदि उम्मीदवार गणित या अर्थशास्त्र में आनर्स स्कूल में स्नातक भी हो या सांख्यकी में एम० ए० की उपाधि रखता हो । (ii) संकलन, अनुसंधान कार्य तथा अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र या सांख्यिकीय या सामाजिक आर्थिक पर्यवेक्षणों की डिजाईनिंग तथा पर्यवेक्षण में पांच वर्ष का अनुभव । इसमें से सहायक निदेशक/अनुसंधान अधिकारी/टेबुलेशन अधिकारी के समान पदों पर तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए । (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान होना चाहिए ।	(i) सहायक निदेशक या टेबुलेशन अधिकारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान होना चाहिए ।

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

क्रम० सं०	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1	संयुक्त निदेशक एवं विशेष कार्य अधिकारी	सरकार	छोटी शास्तियां			
2	उप-निदेशक		(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी;	सरकार	सरकार	
			(ii) परिनिन्दा;			
			(iii) पदोन्नति रोकना;			
			(iv) उपेक्षा या आदेशों के उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम तथा व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद् या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी पूरी हानि की या उसके भाग की वेतन से वसूली;			

(v) वेतन वृद्धियां रोकना ;

(2) बड़ी शास्तियां

(vi) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर क्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर, ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं;

(vii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतय: रोक होगी, ऐसा, जिस ग्रेड, अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगा;

(viii) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ।

(ix) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;

(x) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यत: निरर्हता होगी ।

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	संयुक्त निदेशक एवं विशेष कार्य अधिकारी	(i) पैंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसी अनुज्ञेय सामान्य/ अतिरिक्त पैंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; और	सरकार	..
2	उप-निदेशक	(ii) अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।		

ए० बैनरजी,

सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।

सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

REVENUE DEPARTMENT

Notification

The 6th October, 1989

No. G.S.R. 83 Const./Art. 309/89.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Land Records Organisation Statistical (Group A) Service, namely:—

PART I—GENERAL

Short title.

1. Thsse rules may be called the Haryana Land Records Organisation Statistical (Group A) Service Rules, 1989.

Definitions.

2. In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;

(b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;

(c) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;

(d) "Institution" means—

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purposes of these rules;

(e) "recognised university" means—

(i) any university incorporated by law in India; or

(ii) in the case of a degree, diploma, or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or

(iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised university for the purposes of these rules;

(f) "Service" means the Haryana Land Records Organisation Statistical (Group A) Service.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and character of posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall effect the inherent right of the Government to make additions to or reductions in the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality domicile and character of candidates, appointed to the Service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is,—

(a) a citizen of India; or

(b) a subject of Nepal; or

(c) a subject of Bhutan; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of the East African Countries of Kenya, Uganda, The United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) Jambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination of interview conducted by the Commission or any other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificates from the two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than twenty-two years or more than thirty-five years of age on or before the first day of January next preceding the last date of submission of applications to the Commission or any other recruiting authority.

Appointing authority.

6. Appointment to the post in the Service shall be made by the Government.

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment :

Provided that in case of direct recruitment the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to scheduled castes, backward classes, ex-serviceman and physicaly handicapped candidates, possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications.

8. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the service :

Provided that the Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made—

(a) in case of Joint Director-cum-Officer on Special Duty—

(i) 50% by promotion from amongst Deputy Directors; and

(ii) 50% by direct recruitment; or

(iii) by transfer or deputation an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

(b) in case of Deputy Director—

(i) 50% by promotion from amongst Assistant Directors, Research Officers and Tabulation Officers; and

(ii) 50% by direct recruitment; or

(iii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.,

(2) All promotions shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

Probation.

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise.

Provided that—

(a) any period after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation.

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service may in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority be followed to count towards the period of probation fixed under the rule; and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his service; and

(b) if such person is appointed otherwise than by the direct recruitment—

(i) revert him to his former post; or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit.

(3) on the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

(a) if his work or conduct has, in its opinion been satisfactory—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy; or

(b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory—

(i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, or revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit, if appointed otherwise, or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such order as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority *inter-se* of members of the service shall be determined by the length of continuous service on any post in the service :

provided that where there are different cadres in the Service, seniority shall be determined separately for each cadre :

provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission or any other recruiting authority, as the case may be, shall not be disturbed in fixing the seniority :

provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;

(c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and

(d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment ; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in appointments and if the length of such service is also same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

12. (1) A member of the service shall be liable to serve at any place whether within or outside the State of Haryana on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the service may also be deputed to serve under :—

(i) A company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority, or university within the State of Haryana ;

(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body :

Provided that no member of the service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline penalties and appeals.

14. (i) In matter relating to discipline, penalties and appeals, member of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 as amended from time to time :

Provided that the natute of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties an appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India be such as are specified in Appendix C to these rules.

2. The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and the appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the Service shall not himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

16. Every member of the Service, unless he has already done, so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provision.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservation.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for scheduled castes, backward classes, ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time.

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

Repeal and savings.

20. Any rule applicale to the service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of the se rules is hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(*See* rule 3)

Serial number	Designation of posts	Number of posts		Total	Scale of Pay
		Permanent	Temporary		
1	2	3	4	5	6
					Rs.
1	Joint Director-cum-Officer on Special Duty	—	1	1	3,000—100—3,500—125—5,000
2	Deputy Director	—	1	1	2,200—75—2,800—EB—100—4,000

APPENDIX 'B'

[*See* rule 7]

Serial No.	Designation of post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Joint Director-cum-Officer on Special Duty	(i) Master's Degree from a recognised University in Economies or Agricultural Economics or Mathematics or Commerce with Statistics as one of the subjects either at the Master's level or at the B. A. Hons School Level in case the candidate has also graduated in the Hons. School in Mathematics or Economics or a Master's Degree in Statistics. (ii) Five years experience in guiding and conducting research of various Economics and Statistical matters either in a University or some Economic and Statistical Organisation. (iii) Should possess knowledge of Hindi of Matric Standard.	(i) Three year experience as Deputy Director. (ii) Should possess knowledge of Hindi of Matric standard.

1	2	3	4
2	Deputy Director	(i) Master's Degree from a recognised University in Economics or Agricultural Economics or Mathematics or Commerce, with Statistics as one of the subject either at the Master's Level or at the B. A. Hons School Level in case the candidate has also graduated in the Hons School in Mathematics or Economics of a Master's Degree in Statistics. (ii) Five years experience in compilation research work and applied Economics or Statistics or experience of designing and supervising socio economic surveys out of this three years experience should be on posts comparable to those of Assistant Director/Research Officer/Tabulation Officer. (iii) Should possess knowledge of Hindi of Matric Standard.	(i) Five years experience as Assistant Director or Tabulation Officer as Research Officer. (ii) Should possess knowledge of Hindi Matric standard.

APPENDIX C

[*See* rule 14.1)]

Serial No.	Designation of posts	Appointing authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5	6
			(1) **Minor penalties**		
1	Joint Director-cum-Officer on Special Duty	Government	(i) warning with a copy in the personal file (Character roll) ;	Government	—
			(ii) censure ;		
2	Deputy Director		(iii) withholding of promotion ;		
			(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders		

1	2	3	4	5	6
			to the Central Government or a State Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and		
			(v) withholding of increments of pay.		
			(2) Major penalties		
			(vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction		

and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;

(vii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;

(viii) compulsory retirement ;

1	2	3	4	5	6
			(ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government ;		
			(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.		

APPENDIX D

[*See* rule 14(2)]

Serial No.	Designation of post	Nature of order	Authority empowered to make order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1.	Joint Director-cum-Officer on Special Duty	(i) reducing or withholding the amount or ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension; and	Government	..
2.	Deputy Director	(ii) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.		

A. BANERJEE,

Secretary to Government, Haryana,
Revenue Department.

1436
22-11-18

(71)

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग
(हरियाणा सरकार)

नव सचिवालय भवन, हरियाणा, सैक्टर 17,
चण्डीगढ़–160017

21-11-18

यादी क्रमांक 1130–ज–4–2018/16632
चण्डीगढ़, दिनांक 14/11/2018

JD/
Supdt

सेवा में

महानिदेशक, भू–अभिलेख, हरियाणा, पंचकूला।

विषयः हरियाणा भू–अभिलेख सांख्यिकीय (ग्रुप–क सेवा) नियम 1989 में संशोधन करने बारे।

संदर्भः– आपका यादी क्रमांक स I/2018/10108 दिनांक 2–8–2018

....

संदर्भाधीन मामले में आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय बारे अधिसूचना दिनांक 30 अक्तूबर, 2018 हरियाणा राजपत्र (साधारण) मे प्रकाशित हो चुकी है। अतः उक्त अधिसूचना की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) मे भेजकर अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना की प्रतियां अपने स्तर पर वैबसाईट egazetteharyana.gov.in से डाउनलोड करने का कष्ट करे।

अधीक्षक जागीर
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त हरियाणा सरकार,
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग।

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 44–2018j

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 30 अक्तूबर, 2018
(8 कार्तिक, 1940 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नही	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 59/संवि०/अनु० 309/2018, दिनांक 26 अक्तुबर, 2018 – हरियाणा भू–अभिलेख संगठन सांख्यिकीय (ग्रुप क) सेवा (संशोधन) नियम, 2018.	701–702
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

78

भाग – III

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 अक्तूबर, 2018

संख्या सा०का०नि० 59/संवि०/अनु० 309/2018.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा भू–अभिलेख संगठन सांख्यिकीय (ग्रुप क) सेवा नियम, 1989, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् –

1. ये नियम हरियाणा भू–अभिलेख संगठन सांख्यिकीय (ग्रुप क) सेवा (संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा भू–अभिलेख संगठन सांख्यिकीय (ग्रुप क) सेवा नियम, 1989 में, नियम 5 में "पैंतीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "बयालीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

केशनी आनन्द अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

(79)

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 26th October, 2018

No. G.S.R. 59/Const./Art. 309/2018.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Land Records Organisation Statistical (Group A) Service Rules, 1989, namely:—

1. These rules may be called the Haryana Land Records Organisation Statistical (Group A) Service (Amendment) Rules, 2018.

2. In the Haryana Land Records Organisation Statistical (Group A) Service Rules, 1989, in rule 5, for the words and sign "thirty-five", the words and sign "forty-two" shall be substituted.

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.

8378—C.S.—H.G.P., Pkl